हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27-9-19 वकील वादी उपस्थित वकील वादी को प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मन तलबाना पेश करने की हिदायत दी गई पेश होने पर जारी होकर पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 25-10-19 को पेश हो।	
25-10-19 बार संघ का कार्य स्थगन प्रस्ताव/हड़ताल के कारण अभिभाषकगण उपस्थित नहीं। पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यों में व्यस्त हैं पत्रावली दिनांक 28-11-19 को पेश हो।	
28/11/19 - वकील उभयपक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 6-3-20 को पेश हो।	
11.02.2020 आज दिनांक 11.02.2020 को भू–अभिलेख वृत चोहिलावाली पटवार मण्डल किशनपुरा दिखनादा में अद्योहस्ताक्षकर्ता के भ्रमण निरीक्षण रात्रि विश्राम कार्यक्रम के दौरान उक्त पत्रावली को पेशी में लिया जाकर मौके पर प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते का सम्बधित पटवारी हल्का, भू–अभिलेख निरीक्षक तथा नायब तहसीलदार हनुमानगढ़ के साथ मौका निरीक्षण किया गया। दौराने मौका निरीक्षण प्रार्थी व अप्रार्थीगण स्वयं उपस्थित आये। दौराने निरीक्षण पाया कि प्रार्थी द्वारा चक 19 केएसपी के पत्थर नम्बर 122/324 (53) के किला नम्बर 7 व 14 में पश्चिम साईड में दक्षिण से उतर 1–1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया गया। मौका निरीक्षण के समय यह तथ्य भी सामने आया कि प्रार्थीगण की भूमि पश्चिम दिशा में पत्थर नम्बर 121/323 पत्थर नम्बर 121/324 में किला नम्बर 5–6–15–16–25 प्रत्येक में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज रिकार्ड है, जो चक 21 केएसपी पटवारी मण्डल अराईयावाली में दर्ज है। प्रार्थी द्वारा पत्थर नम्बर 122/324 (23) के किला नम्बर 7 व 14 की मांग की गई है जबकि यह किला पत्थर नम्बर पर न होकर मुरब्बा के बीच में हैं। इन किलों के अलावा प्रार्थीगण के पास रास्ता के लिये अन्य विकल्प पत्थर नम्बर 121/323 पत्थर नम्बर 121/324 में किला नम्बर 5–6–15–16–25 चल रहे रास्ता से होकर पत्थर नम्बर 122/323 (52) के किला नम्बर 21 व 22 के पत्थर लाईन पर रास्ता की मांग की जा सकती है जो पत्थर लाईन पर होने पर स्वीकार किया जाना भी न्यायोचित हो सकता है। अतः प्रार्थी द्वारा द्वारा चाहा गया रास्ता व विकल्प का रास्ता की दूरी प्रार्थी के खेत से सम्मान होने के कारण किसी मुरब्बा के बीच में से रास्ता दिया जाना न्यायोचित नहीं हैं। अतः प्रार्थना–पत्र वर्तमान स्तर पर खारिज करते हुये प्रार्थी को अन्य विकल्प जो पत्थर लाईन पर बनता है, में से नियमानुसार रास्ता स्वीकृत करवाने हेतु सम्बधित पक्षकार बनाया जाकर नवीन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने की स्वतन्त्रता प्रदान की जाती है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। सही (कपिल यादव) उपखण्ड अधिकारी ...	नालिरस्त 11/2/2020 ओमप्रकाश 11/2/2020

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Yadav
Date: 2020.02.17 13:32:08 IST
Reason: SelfAttested